



५०२१

दूरभाष 2286709
2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : २९७० / ०५ / ७६ / एक / २०१५-१६
सेवा में,

दिनांक २३ अक्टूबर २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद—कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बसितयों तथा मलिन बसितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बसितयों तथा मलिन बसितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एब००१०एफ०८०१० बैंक	०२९८१०००१३५७४६	IFSC Code HDFC0000298	211.983
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वर्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट-द्वितीय किश्त	न०पा०४० घाटमपुर	आचौ गोहल पूर्वी पार्ट वी में इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	14.232
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट-द्वितीय किश्त	न०प०१० कानपुर	जालपा नगर पार्ट-ए में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.032
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट-द्वितीय किश्त	न०प०१० कानपुर	जालपा नगर पार्ट वी में इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	8.132
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट-द्वितीय किश्त	न०प०१० कानपुर	बाबुपुरवा खटिकाना में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.217
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०प०१० कानपुर	बूढपुरमछिरिया पार्ट डी में साविर झाइवर के माकन से सन्तोष प्रोविजन रस्टोर तक व सम्बद्ध गलियों में, गुलजार के मकान से सहजादे के मकान तक व सम्बद्ध गलियों में, जगील के मकान से मो० खालिद के मकान होते हुये याकूब सिद्दीकी के मकान तक, श्रीराम के मकान से इरफान के घर होते हुये मुस्ताक प्रोविजन रस्टोर तक, अंरारी मुर्गी फार्म से तैयार के गकान तक, कईर मसिजिद से इरफान दरोगा के मकान होते हुये अशर्फी वेगम के मकान तक, मुन्ना झीलू के मकान से मशरू निशा के मकान तक, वफती झाइवर के मकान से वारिस अली के मकान होते हुए जाकिर साईकिल वाले के मकान तक, व सम्बद्ध गलियों में हाजी फैजुल्ला के मकान से ताहिर अली के मकान तक, अशिष गौतम के मकान होते हुए संगीता पारावान के मकान तक, राजकुमार सोनकर के मकान से राकेश सोनकर के मकान तक व सम्बद्ध गलियों में एवं चौथी लाल के मकान से इरफान ट्रेलर्स तक इण्टरलाकिंग राडक एवं नाली निर्माण कार्य।	81.519



५०२/२

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 226001
2260710

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत सराय में दरोगा के मकान से राजू दूबे के घर होते हुये जगदीश पाल के मकान तक एवं जमुना प्रसाद के मकान से हरीपाल के मकान व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.409
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत यूनाइटेड नगर पार्ट एक में भसवानपुर मुख्य मार्ग से सोहन लाल के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.482
8	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत यूनाइटेड नगर पार्ट दो में रानी देवी के घर से वाजपेई जी के घर होते हुये राजेन्द्र सिंह के घर तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.167
9	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-1 में रामशंकर के घर से कच्चा नाला तक व आन्तरिक गलियों में, राजा मछली वाले के घर से पन्ना लाल के घर तक एवं राजकुमार के घर से जय प्रकाश के घर तक तथा सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.441
10	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-2 में धीर सिंह यादव के घर से राज बहादुर के मकान तक, अमर सिंह के मकान से वकील के मकान तक, श्वीर जनरल स्टोर से गोपाल फल वाला तक एवं मुख्तार अहमद के मकान से पाल के घर तक एवं सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	13.705
11	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० कानपुर	गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत आदर्श नगर पार्ट-3 में अजय के घर से गुप्ता जी के मकान एवं प्रेमचन्द्र के मकान होते हुए चन्द्र शेखर के मकान तक, राज नारायण के मकान से चन्द्र शेखर के मकान तक एवं ठाकुर प्रसाद के मकान से संजय आठो वाला तक एवं सम्बद्ध गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	12.647
	वोग				211.983

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में रु०१०००० रु०३०० अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये-

- उ०१० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में रु०१०००० रु०३०० अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत रु०१००००००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रादली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना रामबन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रसंगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आदेश प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



452/3

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5 स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वास्तविकता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6 प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हरतापुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7 परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उह सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख्य-रखाव में कोई वादा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8 योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अधिक के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9 उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10 प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केंद्र, राज्य व स्थानीय करों की स्वीकृति पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11 अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12 शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। तथा द्वितीय किश्त में अनुमन्य सेन्ट्रेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रकार कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष नौत्रिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रलाप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।



(लाल प्रलाप सिंह)
वित्त नियन्त्रक